भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) की केन्द्रीय कमेटी का मुखपत्र

अप्रैल 2022

प्रतिरोध का स्वर

वर्ष 36
संख्या 4

मूल्य 5 रुपये

विधानसभा चुनाव परिणाम : जनता के सामने चुनौतियां

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे देश की जनता के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय की ओर इशारा करते हैं। फासीवादी ताकतों की, विशेष रूप से सबसे अधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश में जीत, हालांकि यह पहले से कम सीटों के साथ हुई है, की स्थिति में अब सांप्रदायिक विभाजन को गहरा करने के प्रयास और अधिक तेज होंगे और जनता के तमाम हिस्सों पर अधिक भीषण हमले शुरू होंगे। किसान आन्दोलन द्वारा जनवादी आन्दोलनों के लिए खोली गयी जगह को बंद करने के प्रयास किये जाएंगे। पंजाब में जहां आरएसएस-भाजपा बड़ी ताकत नहीं थी, पहले की सत्ताधारी पार्टियों कांग्रेस और अकाली दल से जनता के हुए मोहभंग से आम आदमी पार्टी (आप) को फायदा हुआ है। अन्य राज्यों में आरएसएस-भाजपा ने विपक्षी दलों द्वारा पेश की गई चुनौतियों को, जहां वे केवल जनता के मोहभंग के आधार पर सत्ता में आने की कोशिश कर रहे थे, पार कर लिया है। निःसंदेह भाजपा की जीत में भारी धन व्यय और कारपोरेट मीडिया के बेलगाम समर्थन ने भी बड़ी भूमिका निभाई है।

इन चुनावों ने सत्तारूढ़ फासीवादी ताकतों द्वारा जनता के समक्ष पेश की गई चुनौतियों को खोल कर रख दिया है। उनका फासीवादी हमला अधिक व्यवस्थित है इसीलिए उसको दी जाने वाली चुनौती को भी और व्यवस्थित होने की जरूरत है। वर्तमान समय की इस चुनौती का सामना करने में वर्ग संघर्ष और जन आंदोलनों का तेज होना ही निर्णायक साबित होगा।

2019 में आरएसएस-भाजपा की सत्ता में वापसी के बाद की अवधि ने साबित कर दिया है कि लोगों के गैर संसदीय संघर्षों ने ही सत्तारूढ़ फासीवादी ताकतों को चुनौती दी है। किसानों का गौरवशाली संघर्ष जिसने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह तीन काले कृषि अधिनियमों को निरस्त करे, उस दिशा को दर्शाता है जिससे फासीवादी ताकतों के शासन को चुनौती आ रही है और भविष्य में भी आएगी।

चुनाव परिणाम बताते हैं कि आरएसएस की घुसपैठ प्रशासनिक तंत्र यानी राज्य मशीनरी पर पूर्ण नियंत्रण के करीब पहुंच गई है, जिसमें जमीन पर मौजूद अपने कैडरों के साथ मिलकर उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को चुनावी हथियार बना लिया है और इन फासीवादी ताकतों को चुनावी चुनौती देना और कठिन बना दिया है। शासक वर्गों के शासन ने लोगों की विशाल जनसंख्या को अभाव और दरिद्रता की ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है, जहां सरकारी योजनाएं बड़ी संख्या में लोगों के लिए जीवनधारा बन गयी हैं। राज्य मशीनरी को नियंत्रित करने वाले आरएसएस के कार्यकर्ता लोगों के बड़े हिस्से को नियंत्रित करने में सक्षम हो रहे हैं। आरएसएस-भाजपा ने राज्य मशीनरी पर नियंत्रण के माध्यम से सांप्रदायिकता को 'विकास' के साथ जोड़ दिया है। हालांकि चुनावों में उन्हें लोगों के सामने आने वाले मुद्दों पर बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा, और इससे लोगों की नाराजगी की गहराई का पता चलता है।

फासीवादी ताकतों के लिए चुनावी चुनौती गंभीर संकट तथा तीव्र आंदोलन की स्थितियों में ही हो सकती है या जहां क्षेत्रीय पहचान के सवाल गंभीर चुनौती पेश करते हो। पहचान की राजनीति की सीमाएं भी प्रदर्शित हो गयी हैं और स्पष्ट है कि जहां यह वर्गीय आधार के दायरे से बाहर है वहां इसको सत्तारूढ़ फासीवादी ताकतें आसानी से अपनी ओर मोड़ने में कामयाब हो जाती है। लगभग 3 दशकों से यूपी में सत्ता की मुख्य दावेदार रही बसपा की गिरावट का उपयोग उनके द्वारा किया गया है। बसपा के पतन का इस्तेमाल आरएसएस-भाजपा ने सपा नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा दी गयी चुनौती की भरपायी करने के लिए कर लिया है।

यह चुनाव एक बार फिर शासक वर्गों की विपक्षी पार्टियों के दिवालियेपन को दिखाते हैं जो आंदोलनों का निर्माण किये बिना तथा जन आंदोलनों में भाग लिए बिना ही लोगों के गुस्से का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे थे। पंजाब में सत्ता में आई 'आप' पार्टी की अब परीक्षा होगी और उसकी नीतियों का खुलासा होगा। दिल्ली में उसके शासन की गंभीरता से परीक्षा नहीं हो पाई क्योंकि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है और शासन के महत्वपूर्ण क्षेत्र केंद्र सरकार के हाथों में है।

यह चुनाव फासीवादी ताकतों के शासन के खिलाफ और राज्य के पूर्ण फासीवादी अधिग्रहण को रोकने के लिए लोगों के गैर संसदीय संघर्षों को मुख्य ताकत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह स्थिति जन आंदोलन के माध्यम से इस चुनौती के निर्माण और विकास में क्रांतिकारी और संघर्षरत ताकतों की भूमिका को भी रेखांकित करती है। वर्तमान दौर यह दर्शाता है कि आने वाले समय में शासक वर्गों के बीच विभाजन नहीं बल्कि जनता का विरोध निर्णायक भूमिका निभाएगा। क्रांतिकारी किसान संगठनों के इन चुनावों में भाग न लेने और शासक वर्ग की पार्टियों के पीछे नहीं जाने का निर्णय सही साबित हुआ है। जिन ताकतों ने दूसरी दिशा अपनायी उन्हें जनता क्षरा नकार दिया गया।

यह वह समय है जब कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों को अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए और क्रांतिकारी आंदोलन के विकास के साथ-साथ जन संघर्षों के निर्माण में लग जाना चाहिए। साथ ही उन्हें अपनी भूमिका निभाने के लिए संकीर्णतावाद और आपसी विभाजन से ऊपर उठना चाहिए।

इन हमलों के साथ ही शासक आरएसएस-भाजपा द्वारा राज्यों के अधिकारों पर हमले और तेज किए जाएंगे। सत्ता का केन्द्र सरकार के हाथों में केन्द्रीकरण उनके फासीवादी एजेंडे का एक मुख्य अंग है।

उभरती स्थिति सभी ताकतों को संघर्ष के निर्माण के लिए साथ आने का आह्वान करती है। संकीर्णतावाद और समर्पणवाद से बचना चाहिए और इनके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। किसान आंदोलन का एक महत्वपूर्ण फल संयुक्त किसान मोर्चा का निर्माण था और इसके भीतर मतभेदों को दूर किया जाना चाहिए। कृषि संकट के सवाल को व्यापक तरीके से उठाने के अलावा हर किसान के लिए एमएसपी पर किसान संघर्ष को विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों में किसान जनता के ठोस मुद्दों को ध्यान में रखते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में किसान संघर्षों का निर्माण किया जाना चाहिए। ट्रेड यूनियनों को मजदूरों पर हमले की चुनौती का सामना करना चाहिए। इसके लिए उन्हें सरकार द्वारा बढ़ते हमलों का सामना करने के लिए श्रमिकों के विशाल जनसमूह को संगठित करना चाहिए और इस काम में संकीर्णता को दूर करना चाहिए। इसके अलावा चुनौतियों का सामना करने के लिए मजदूरों में आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए और आत्मसंतुष्टि के भाव से मुक्त होना चाहिए।

मौजूदा पैदा हो रही स्थिति में आदिवासियों और दलितों को एकताबद्ध करने और संघर्ष का दृष्टिकोण अपनाने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। इन वर्गों को आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर बड़े पैमाने पर लामबंद किया जाना चाहिए। इसी तरह युवाओं और छात्रों को शिक्षा पर हो रहे हमलों और बेरोजगारी के बढ़ते संकट का सामना करने के लिए सगंठित किया जाना चाहिए। महिलाओं को बड़े पैमाने पर संघर्ष खड़े करने चाहिए क्योंकि उन्हें पहले से ज्यादा हाशिये पर ढकेला जा रहा है और दबाव में जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सभी ताकतों को लामबंद होना चाहिए। लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए जन आंदोलनों की भूमिका अब और बढ़ेगी। लोगों पर बढ़ते बोझ के खिलाफ, जो अब चुनाव समाप्त होने के बाद तेजी से बढ़ेगा, विशेष रूप से मूल्यवृद्धि, जनता पर करों में वृद्धि और बड़े पैमाने पर बढ़ रही बेरोजगारी के रूप में, सभी संभावित तत्वों को शामिल करते हुए विशाल आंदोलनों का निर्माण किया जाना चाहिए।

विशेष स्थिति विशेष प्रयासों की मांग करती है। स्थिति निश्चिंतता की अनुमति नहीं देती है। लोगों को एकजुट करें और संघर्षों के लिए उठ खड़े हों। इस गंभीर स्थिति का एक उज्जवल पक्ष भी है। क्रांतिकारी और लोकतांत्रिक ताकतों के पास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है।

(सीपीआई (एमएल) न्यू डेमोक्रेसी द्वारा 10.03.2022 को जारी)

10 मार्च 2022 संसद मार्ग नई दिल्ली : यूक्रेन पर रूसी हमले तथा नाटो के विस्तार के विरुद्ध तथा यूक्रेन से भारतीय छात्रों की अविलम्ब देश वापसी सुनिश्चित कराने के लिए पी.एस.यू. तथा पी.डी.एस.यू. द्वारा धरना

"द कश्मीर फाइल्स": मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ाना फासीवादी शासकों का षडयंत्र

अनिल दुबे

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ–भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों ने भारत की जनता खास तौर पर अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और छात्रों के खिलाफ फासीवादी हमला तेज कर दिया है।

साथ ही उसने देश के हर सोचने समझने और उसके फासिस्ट विचारों का विरोध करने वाले नागरिकों के खिलाफ युद्ध सा छेड़ दिया है, जिसमें कारपोरेट मीडिया, न्यायपालिका, नौकरशाही, जांच एजेंसियां और पुलिस पूरी नग्नता के साथ उसका सहयोग कर रही है। इन सभी संस्थाओं का संघ–भाजपा ने बीते 7–8 वर्षों में और सांप्रदायिकरण किया है। जनता के सभी तबकों के खिलाफ संघ–भाजपा सरकारों का फासिस्ट हमला, नफरत फैलाने वाले बयान अब केवल नैरेटिव नहीं बना रहे, बल्कि अल्पसंख्यकों पर रामनवमी के नाम पर और जेएनयू कैंटीन में मांस के सवाल पर हमले शुरू हो गए हैं। यह सब देश के अल्पसंख्यकों को डरा कर हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के अलावा बेतहाशा बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी, कारपोरेट को सरकारी संपत्तियां बेचकर बेइंतहा मुनाफा देने जैसे सवालों से जनता का ध्यान भटकाने को लेकर हैं।

नरेंद्र मोदी सरकार के 3 तलाक कानून, सीएए–एनआरसी, कश्मीर से 370 और 35–ए की समाप्ति को इसी रूप में देखा जाना चाहिए। इसके जरिए हिंदूओं में धर्मोंमाद बढ़ाने की कोशिश है। विदेशों में रह रहे धार्मिक रूप से उत्पीड़ित हिंदुओं को भारत में शरण देने और कश्मीर में किसी भी भारतीय द्वारा संपत्ति खरीद सकने का नैरेटिव बनाया गया, जबकि हकीकत यह है कि अब तक नागरिकता कानून के तहत किसी को भारतीय नागरिकता नहीं दी गई। उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जीत के बाद संघ–भाजपा सरकारों ने सांप्रदायिक विद्वेष बढ़ाने के लिए मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषणों जैसी गतिविधियां आक्रामक ढंग से तेज कर दी हैं, जिसे अगले वर्षों में कई राज्यों में होने वाले विधानसभा और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है।

हिजाब, हलाल, मुस्लिम व्यापारियों और ड्राइवरों के बहिष्कार की भाजपा नेताओं, मुख्यमंत्री, मंत्रियों की अपील और साधु–संतों के जहरीले भाषणों ने देश के वातावरण में नफरत का जहर घोल दिया है। इन सबके बीच सी–ग्रेड फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ''द कश्मीर फाइल्स'' अल्पसंख्यकों के खिलाफ उग्र हिंदुत्व का माहौल बनाने का सोचा समझा षड़यंत्र है। ड्रामा मूवी और क्रूर व हिंसक दृश्यों के कारण इसे ''ए'' ग्रेड का सर्टिफिकेट दिया गया है। इसे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे नहीं देख सकते, लेकिन प्रधानमंत्री से ज्यादा एक आरएसएस प्रचारक की तरह काम कर रहे नरेंद्र मोदी ने अपने एक सार्वजनिक भाषण में फिल्म की प्रशंसा करते हुए उसे हर नागरिकों से देखने की अपील की। ''द कश्मीर फाइल्स'' को मोदी एक ऐसा सच बताते हैं जो अभी तक उजागर नहीं हुआ।

संघ और भाजपा के सुनियोजित हमलों के खिलाफ जनता के तमाम जुझारू तबकों किसान, श्रमिक, महिलाएं, छात्र और युवा संघर्ष कर रहे हैं। सामाजिक सरोकार रखने वाले पत्रकार, वकील, प्रोफेसर आदि बुद्धिजीवी भी निरंतर विरोध जता रहे हैं। मानवाधिकारवादी व नागरिक अधिकार संगठन ''जन हस्तक्षेप'' ने 2 अप्रैल 2022 को दिल्ली के प्रेस क्लब आफ इंडिया में ''नफरत की संस्कृति का प्रचलन और भारतीय लोकतंत्र पर खतरा'' विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित पत्रकारों, वकीलों, अध्यापक, छात्रों व बुद्धिजीवियों ने सत्ता द्वारा "द कश्मीर फाइल्स" फिल्म व अन्य घटनाओं के जरिए मुसलमानों के खिलाफ किए जा रहे "हेट स्पीच" का विरोध करते हुए उसकी निंदा की।

"द कश्मीर फाइल्स" को सच का खुलासा बताने वाले प्रधानमंत्री मोदी के झूठ का खुलासा, पानीपत के आरटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर ने किया है। "द कश्मीर फाइल्स" पर आरटीआई के तहत मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड मुंबई (फिल्म सेंसर बोर्ड) के सीनियर रीजनल ऑफिसर व केंद्रीय जन सूचना अधिकारी नागराज कुलकर्णी ने पीपी कपूर की 22 मार्च की आरटीआई के तहत अपने 1 अप्रैल 2022 के लिखित जवाब में सूचित किया कि "द कश्मीर फाइल्स" डॉक्यूमेंट्री या कमर्शियल फिल्म नहीं, बल्कि एक ड्रामा श्रेणी की फीचर फिल्म है।

कपूर ने इस फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा लाइसेंस लेने के समस्त रिकॉर्ड की कॉपी फाइल नोटिंग सहित मांगी थी। जवाब में कुलकर्णी ने बताया कि यह सूचना सिनेमैटोग्राफी सर्टिफिकेशन रूल 1983 के रूल 2–4 में नहीं दी जा सकती। फिल्म को सर्टिफिकेट देने का ब्योरा देते हुए फिल्म सेंसर बोर्ड ने बताया कि आवेदक विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म को केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने 3 नवंबर 2011 को एसएडी यानी सिर्फ वयस्कों को दिखाने के लिए जारी किया था। यह आश्चर्य की बात है कि दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एडल्ट और ड्रामा श्रेणी की फिल्म को प्रमोट करने के लिए सरकारें उसे टैक्स फ्री करें। खतरनाक तथ्य यह भी है कि फिल्म के पोस्टर में "ए" सर्टिफिकेट का उल्लेख नहीं है, लेकिन फिल्म का प्रमोशन भाजपा की सरकारों ने किया।

मोदी द्वारा फिल्म के प्रमोशन के बाद भाजपा राज्यों के मुख्यमंत्री टैक्स फ्री करते हैं और पार्टी के नेता व मंत्री फिल्म दिखाने के लिए देश भर में अभियान चलाते हैं, क्योंकि इससे संघ के अल्पसंख्यक विरोधी प्रोपेगेंडा को मजबूती मिलती है। फिल्म कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर मुसलमानों की क्रूरता दिखाती है और नफरत भड़काती है। दरअसल सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने के लिए लाखों झूठे तथ्यों को जो हजारों सभाओं में बोल कर भी नहीं फैलाया जा सकता उसे फिल्म के जरिए करने की कोशिश की गई है। फिल्म पटकथा लेखन, डायरेक्शन, डायलॉग, फोटोग्राफी और कलाकारों की एक्टिंग से लेकर हर स्तर पर नितांत घटिया है। फिल्म को लेकर हिंदूवादी संगठन कारपोरेट मीडिया, सोशल मीडिया से लेकर सड़कों और गलियों के चौराहों के अड्डों पर भी बहस भी चला रहे हैं, जिसमें मुस्लिमों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। हिंदूवादी नेता लाउडस्पीकरों से अल्पसंख्यकों की बहू बेटियों का बलात्कार करने का ऐलान कर रहे हैं, जिस पर सरकारें और उसकी पुलिस खामोश है।

देश की तमाम संस्थाओं की तरह फिल्म उद्योग पर भी सरकार का प्रभाव बढ़ा है। यही कारण है कि अच्छी कहानियों पर फिल्में बनना लगभग बंद हो गई हैं। ऐतिहासिक विषयों पर गलत तथ्यों के साथ फिल्मों की श्रृंखला बनाई जा रही है और "द कश्मीर फाइल्स" भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। कश्मीर समस्या को भारत–पाकिस्तान और हिंदू–मुस्लिम समस्या के चश्मे से देश का शासक वर्ग व संघ देखता रहा है जबकि यह मसला देश की आजादी के बाद उसमें मिलीं रियासतों की सभ्यता, संस्कृति, भाषा और अस्मिता का रहा है। कश्मीर ही नहीं पूर्वोत्तर राज्यों में भी दशकों से अशांति है। इसलिए भारत के साथ रहने या ना रहने का भी सवाल इन सीमावर्ती राज्यों में गहराता गया है जिसकी अनदेखी आजादी के बाद शासक वर्गों की सभी पार्टियां करती रही हैं।

देश में अल्पसंख्यकों विशेषतः मुस्लिमों के खिलाफ लगभग रोज नफरत के नए मामले उठाए जा रहे हैं। इसको इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए कि असहिष्णुता और नफरत के धधकाए जा रहे माहौल में जनता का ध्यान पेट्रोल, डीजल, गैस, आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं और खाने–पीने की चीजों की दिन दूनी, रात चौगुनी बढ़ रही कीमतों पर ना जाए। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में लोगों को दैनिक आवश्यकता की चीजें उपलब्ध नहीं है, तो भारत में भी बेतहाशा बढ़ रही बेरोजगारी व गरीबी, जिसका सबूत सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांट कर दे रही है, देश के गंभीर हालात को दर्शाता है। कोरोना महामारी में असंगठित क्षेत्र के उद्योग व काम धंधे ठप हो गए हैं और एक मोटे अनुमान के अनुसार 50 करोड़ लोग बेकारी के शिकार हैं। करोड़ों मध्यम वर्गीय तबके के लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए। दुनिया भर में अरबपतियों की संख्या घट गई लेकिन भारत में सर्वाधिक अरबपति कोरोना संकट में बढ़े। अंबानी–अदानी जैसे घरानों की पूंजी में 30 से 40% की वृद्धि यूं ही नहीं हुई है। शासक वर्ग चंद घरानों की बढ़ रही पूंजी से संतुष्ट भले हो, लेकिन किसानों, मजदूरों, युवाओं में आक्रोश बढ़ रहा है, जिससे निपटने के लिए संघ–भाजपा मुस्लिम समुदाय को बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के सामने बड़े खतरे के रूप में पेश कर रहा है।

सरकार के संरक्षण में संघ परिवार के नफरत फैलाने का परिणाम बीते दिनों रामनवमी के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड आदि राज्यों में अल्पसंख्यकों की बस्तियों, दुकानों और मकानों पर हमले और हिंसा के रूप में दिखाई दिया। उसी दिन जेएनयू में रविवार होने के कारण हॉस्टल के मेस में मांस परोसे जाने को लेकर आरएसएस के छात्र संगठन विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के गुंडों ने छात्र–छात्राओं पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया।

जन हस्तक्षेप के संयोजक डॉ विकास बाजपेई ने गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सत्ता संस्थानों ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में न केवल देश में नफरत की संस्कृति को बढ़ावा दिया है बल्कि लोगों के दैनिक जीवन को भी खतरनाक ढंग से प्रभावित किया है। दलितों पर हमले, जेएनयू, जामिया इस्लामिया के छात्रों के खिलाफ नफरत का प्रसार व फर्जी मामलों में छात्रों की गिरफ्तारियां चिंताजनक हैं। सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं बल्कि ईसाइयों पर भी हमले हो रहे हैं। किसान आंदोलन में सिख किसानों को मंत्रियों द्वारा खालिस्तानी आतंकवादी बताया गया।

वरिष्ठ संपादक प्रेम शंकर झा ने "द कश्मीर फाइल्स" फिल्म को लेकर कश्मीर के प्राचीन इतिहास, आजादी के बाद राजनीति द्वारा पैदा किए गए संकट और मौजूदा स्थिति में उसके जरिए देश भर में बनाए जा रहे माहौल का उल्लेख किया। पत्रकार हरतोष सिंह बल ने कहा की ब्राह्मणवादी हिंदुत्व को सत्ता के लिए एक अछूत तबका चाहिए। सत्ता के लिए व्यापक हिंदू एकता भी चाहिए। ऐसे में उन्होंने मुस्लिमों को एक नए अछूत तबके के रूप में चिन्हित कर लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा हिंदी पट्टी में ही चुनाव जीत रही है, क्योंकि पंजाब, पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत में वह हिंदुत्व के नाम पर चुनावी ध्रुवीकरण नहीं कर सकती।

डीयू के पूर्व प्रोफेसर और रंगकर्मी शमशुल इस्लाम ने कहा कि संघ से पूछा जाना चाहिए कि उसका दलितों और महिलाओं पर क्या सोच है? ''मनुस्मृति'' दलितों व महिलाओं के खिलाफ है जो कि आरएसएस का मुख्य ग्रंथ है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम तो देश में पहले से अछूत हैं, क्योंकि बीती शताब्दियों में जाति उत्पीड़न के शिकार होकर दलित जातियों ने इस्लाम स्वीकार किया था। आज ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे कि मुसलमान देश पर कब्जा कर लेंगे ! सारे आर्थिक संसाधन उनके कब्जे में हो जाएंगे !, लेकिन वास्तविकता यह है कि नौकरियों में वह शून्य हैं।

कश्मीरी पत्रकार व लेखक संजय काक ने कहा कि "द कश्मीर फाइल्स" फिल्म में कश्मीर की बात की गई है, लेकिन यह किस कश्मीर की बात है यह नहीं समझ में आता ? लोग कश्मीरियों पर अपनी बात थोपते हैं। कश्मीर को लेकर जो उनकी समझ है वह उसी कश्मीर को बताते हैं। उन्होंने कहा कि बदले हालात में कश्मीर में जो होने वाला है उससे पूरा देश प्रभावित होगा। फिल्म में कुछ तथ्य, कुछ सच और अपने एजेंडे को मिलाकर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया गया है। उसमें जैसी हिंसा दिखाई गई है उसे सेंसर बोर्ड कैसे पास कर सकता है ? भाजपा की सरकारें और उसके नेता फिल्म का प्रचार कर रहे हैं। मुसलमानों को पहले से ही कुचल कर रखा गया है। अब इस फिल्म से मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाकर उन्हें

(शेष पृष्ठ 3 पर)

अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा (एआईकेएमएस) द्वारा 11 से 17 अप्रैल के बीच एमएसपी के मुद्दे पर कार्यक्रमों का आवाह्न

(संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा 11 से 17 अप्रैल के बीच एम.एस.पी. के सवाल पर देश भर में विरोध कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है। इसको लागू करने के लिए एआईकेएमएस ने 30 मार्च 2022 को एक सरकुलर जारी किया है। यह सरकुलर 11 से 17 अप्रैल, 2022 के बीच एमएसपी मुद्दे पर विरोध कार्यक्रमों के लिए सभी राज्य इकाइयों को भेजा गया है। हम यहां इसे प्रकाशित कर रहे हैं।)

संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों से किए गए लिखित वायदों को पूरा करने में सरकार की, विशेष रूप से सभी किसानों के लिए एमएसपी देने पर विचार करने के लिए समिति की घोषणा करने में विफलता पर, सभी यूनियनों को 11 से 17 अप्रैल, 2022 के बीच सेमिनार, विरोध कार्यक्रम, धरना, रैलियां आदि आयोजित करने का आह्वान किया है।

केन्द्रीय कार्यकारिणी सभी राज्य इकाईयों से इस कार्यक्रम को 'एमएसपी गारंटी सप्ताह' के रूप में आयोजित करने और विरोध के दौरान स्थानीय मुद्दों को जोड़ने के लिए तुरंत कदम उठाने का आह्वान करती है। जहां तक संभव हो अन्य किसान संगठनों के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक आंदोलन बनाने की दिशा में एक कदम है जो मूल रूप से फसल की कीमतों और फसल बिक्री की गारंटी के माध्यम से कृषि में आय की सुरक्षा से संबंधित है। इसमें छोटे व सीमांत किसानों की खेती की व्यवहार्यता का महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। इसे समझाते हुए इसके लिए हमें व्यापक प्रचार–प्रसार करना चाहिए।

हमें इस बात पर भी गौर करना व समझाना चाहिए कि खेती में कारपोरेट नियंत्रण बढ़ाने की सरकार की नीति मूल रूप से अनाज पैदा करने के खेती के प्रारूप को बदलने से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि विदेशी कम्पनियां आसानी से इसे बेच सकती हैं। ये नीतियां भारत के किसानों द्वारा उन फसलों को पैदा करने को बढ़ावा देने की है जो विदेशी कम्पनियों के बाजार सम्बन्धित व्यापारिक हितों से जुड़ी हो। इससे किसानों की आत्मनिर्भरता भी घटेगी और देश की खाद्यान्न सुरक्षा भी कमजोर होगी।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से 9 दिसंबर 2021 को भेजे गए औपचारिक पत्र में किसानों से अपना आंदोलन वापस लेने की अपील करते हुए स्पष्ट रूप से कहा गया था कि प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ने पहले ही केंद्र और राज्य सरकारों और किसानों (जिनमें एसकेएम के लोग भी शामिल हैं) के प्रतिनिधियों सहित एक समिति के गठन की घोषणा की है, जिनके पास 'देश के किसानों को एमएसपी की गारंटी कैसे दी जाए' पर तय करने का मेनडेट होगा। पत्र में कहा गया है कि 'सरकार ने पहले ही आश्वासन दिया है कि एमएसपी पर खरीद की वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी'। 15 जनवरी एसकेएम की बैठक के बाद जब 31 जनवरी को विश्वासघात के दिन के रूप में मनाया गया, सरकार ने संसद में घोषणा की कि मार्च में समिति की घोषणा की जाएगी। इसके बावजूद अभी तक कमेटी की घोषणा नहीं की गई है।

हालांकि किसान आंदोलन के दबाव में मोदी सरकार दावा कर रही है कि वह स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप एमएसपी की घोषणा कर रही है, यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। वस्तुतः डॉ. स्वामीनाथन ने स्वयं खुलेआम स्पष्ट किया है कि मोदी सरकार सी2+50 प्रतिशत लागू नहीं कर रही है, और केवल ए2+50 प्रतिशत (ए2 उत्पादन लागत में भूमि का किराया, भूमि में निवेश, उपकरणों का डिप्रिसियेशन, ब्याज आदि शामिल नहीं है)। 2014 के आम चुनावों के दौरान भी, भाजपा ने इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था और मोदी ने बड़े पैमाने पर प्रचार किया कि वे उत्पादन की लागत से 50 फीसदी अधिक प्रदान करेंगे। सत्ता में आने के बाद, 20.02.2015 को, इसने एक हलफनामा देकर उच्चतम न्यायालय में कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करना संभव नहीं है क्योंकि यह बाजार मूल्य को विकृत करता है, यानी यह खाद्य पदार्थों के व्यापार में शामिल निगमों के वाणिज्यिक हितों के लिए हानिकारक है।

पिछले वर्षों में हम देखते आए हैं कि घोषित एमएसपी वृद्धि बढ़ती कीमतों के बराबर भी नहीं रही है। 2020 में महंगाई बढ़कर 6.13 फीसदी हो गई लेकिन धान की कीमत प्रति क्विंटल रु. 1835 से बढ़ाकर रु. 1888 यानी उस वर्ष केवल 2. 9 प्रतिशत और अगले वर्ष केवल 3.9 फीसदी वृद्धि हुई जबकि तब मुद्रास्फीति लगभग 12.5 प्रतिशत थी। लगभग सभी फसलों की स्थिति एक जैसी है। देश में कृषि उपज के लिए एमएसपी भी पिछले 2 दशकों से अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से कम रहा है। घोषित एमएसपी न तो लागत की उचित गणना पर आधारित है और न ही राज्य सरकारों द्वारा अनुमानित लागत को ध्यान में रखता है। कृषि की अजीबोगरीब प्रकृति यानी प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट, आदि और उत्पादन लागत के आकलन में कई खामियां, बाजार की अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, एम.एस.पी. का निर्धारण करते समय कई कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। 01.04.2013 को, रमेश चंद समिति ने एमएसपी की गणना के लिए विधि तय करने के लिए 23 सिफारिशें की थीं। लेकिन इनमें से कोई भी लागू नहीं की गई है। यदि उन्हें लागू किया गया होता तो अनुमान है कि उत्पादन लागत 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। अधिकांश किसानों की घोषित एमएसपी तक भी पहुंच नहीं है क्योंकि सरकार द्वारा खरीद की कोई गारंटी नहीं है, जो अकेले यह सुनिश्चित कर सकती है कि बाजार मूल्य घोषित एमएसपी से नीचे न जाए। यही कारण है कि एमएसपी की गारंटी का अधिनियमन और सभी किसानों से सभी फसलों की सुनिश्चित खरीद हमारी महत्वपूर्ण मांग है।

हमें इस बात पर गौर करते हुए यह भी समझाना चाहिए कि विश्व व्यापार संगठन के खेती पर समझौते की यह मांग है कि भारत किसानों को एमएसपी की गारंटी देना बंद कर दे और सरकार की नीति वास्तव में इसे समाप्त करने की है, जिसका स्पष्ट संकेत शांताकुमार कमेटी ने दिया है।

हमारी मांगें हैं :

क) गेहूं, धान, सरसों, गन्ना और अन्य सभी फसलों के एमएसपी की उचित घोषणा सी2+50 फीसदी सूत्र के अनुसार की जाए।

ख) सभी किसानों की सभी फसलों की खरीद गारंटी की जाए।

ग) प्रत्येक कार्ड धारक को प्रतिमाह 10 किलो खाद्यान्न, वनस्पति तेल, दालें, चीनी, नमक का निःशुल्क राशन वितरण किया जाए।

घ) लागत की सामग्री डीजल, खाद, कीटनाशक, बीज के दाम घटाकर आधे किये जाएं।

ङ) आवरा पशुओं से फसल की रक्षा की जाए।

च) खेती के उपकरण में व तकनीकी सेवाओं में उचित दाम पर सभी किसानों को उपकरण उपलब्ध कराए जाएं और सिंचाई की व्यवस्था की जाए।

इस विरोध के साथ ही इस दौरान किसानों की अन्य मांगों पर भी प्रकाश डालने की जरूरत है।

1– हालांकि सरकार का कहना है कि वह पहले से की जा रही फसलों की खरीद के लिए प्रतिबद्ध है, पिछले खरीद सीजन के दौरान सरकार ने प्रति एकड़ जमीन की सरकारी खरीद और प्रति जिले की कुल खरीद की सीमा निर्धारित की हुई है।

2– यूपी और अन्य राज्यों में हाल के चुनावों के दौरान जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया था, जैसे कि आवारा जानवरों द्वारा फसलों के व्यापक विनाश के साथ–साथ राशन के तहत मुफ्त राशन जारी रखना, जिसे केवल कोविड प्रकोप के दौरान और चुनावी महीने तक शुरू किया गया था। इन दोनों से सम्बन्धित मांगों पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। ईंधन व अन्य लागत के सामानों तथा सिंचाई के लगातार मंहगा होने से 10 किलो मुफ्त राशन का सवाल संघर्ष का महत्वपर्ण सवाल बन सकता है।

3– फसल बीमा पर सरकार के दुष्प्रचार को भी बेनकाब करने की जरूरत है। किसानों का बड़ा वर्ग केसीसी ऋण लेता है। प्रत्येक ऋण पर बीमा प्रीमियम की राशि काटी जाती है। इस प्रीमियम का भुगतान सीधे जिले को सौंपी गई बीमा कंपनी को किया जाता है। हालांकि, जब फसल के नुकसान का कोई दावा किया जाता है, तो कंपनी का कोई पता नहीं चलता है और नुकसान के लिए भुगतान गांव के पूरे क्षेत्र को फसल क्षति घोषित किए जाने से जुड़ा होता है। हम यह मांग करने के लिए संघर्ष करते रहे हैं कि जब प्रत्येक मालिक द्वारा बीमा प्रीमियम का भुगतान किया जा रहा है, तो भूमि के प्रत्येक भूखंड पर फसल क्षति का आकलन किया जाना चाहिए।

4– इस अवधि के दौरान सरकार ने राज्य सरकारों से पनबिजली परियोजनाओं के केंद्र के प्रबंधन के साथ–साथ नदियों को जोड़ने वाली नई परियोजनाओं को विकसित करने के लिए एक नया कानून बनाया है जो राज्यों में सिंचाई की सुविधाओं को प्रभावित करेगा। इन पर नियंत्रण सीधे केन्द्र सरकार के पास जाएगा और कोई भी निजीकरण आसान हो जाएगा। एक परियोजना गुजरात में तापी–पार–नर्मदा को आपस में जोड़ने की है, जिसका विस्थापन का सामना कर रहे आदिवासियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। एक और है केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, जो मध्य प्रदेश और यूपी के बुंदेलखंड इलाके में बन रहा है।

फासीवादी शासकों का षडयंत्र

(पृष्ठ 2 का शेष)

खतरनाक ढंग से अलगाव में डाला जा रहा है इससे कश्मीर में हालात और खराब होंगे।

"द वायर" के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन ने कहा कि दिल्ली या गुजरात के दंगा मॉडल के बजाय अब सांप्रदायिक नफरत बड़े पैमाने पर फैलाने का मॉडल अपनाया गया है जिसमें छिटपुट हिंसा हो, क्योंकि नफरत के नैरेटिव का व्यापक असर होता है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षो में हुए दंगों में 50–60 लोग मारे गए। इससे उनका काम चल जाता है, क्योंकि बड़े दंगों से होने वाले सामाजिक, आर्थिक नुकसान ज्यादा व विदेशों में छवि खराब होती है। इसलिए लिंचिंग की एखलाक जैसी घटनाएं छिटपुट होती रहें, तो उसका प्रभाव ज्यादा व्यापक होता है। उन्होंने कहा कि नफरत के माहौल के लिए गौ हत्या, हलाल, लव जिहाद, हिजाब, तीन तलाक जैसे मुद्दे मुस्लिमों के खिलाफ माहौल बनाने का काम करते हैं।

गोष्ठी का समापन करते हुए डा. बाजपेई ने कहा कि देश में आवाम का बड़ा हिस्सा न्यूनतम जीवन जीने की जद्दोजहद कर रहा है। देश के विभिन्न तबके संघर्ष कर रहे हैं। किसान हौसले से लड़े और जीते। अर्थात पूरी शिद्दत और ईमानदारी से लड़ाई हो तो जीतना भी मुमकिन है। यह किसान आंदोलन ने साबित किया है। गोष्ठी में देश में पैदा किए गए नफरत के माहौल और लोकतंत्र के खतरे पर प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रस्ताव में कहा गया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को धता बताते हुए भीमा कोरेगांव मामले में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, लेखकों, कवियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी तथा जनता के विभिन्न तबकों के संघर्षों के पक्ष में बोलने की हिम्मत करने वाले पत्रकारों पर हमले राज्य के फासीवादी चरित्र के परिचायक हैं। मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार, हिजाब विवाद के बहाने मुस्लिम महिलाओं को अपमानित करना, बुल्ली बाई तथा सुली डील मामले में महिलाओं की ऑनलाइन प्रोफाइलिंग करने वाले अभियुक्तों को संरक्षण देने के अलावा "द कश्मीर फाइल्स" फिल्म के बहाने मुसलमानों के खिलाफ देश भर में नैरेटिव बनाना देश के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के गंभीर मामले हैं।

श्रीलंका: नवउदारवादी राजपक्षे बहुसंख्यक निरंकुशता के खिलाफ जनउभार

आर्थिक संकट के कारण लोगों का जीवन अस्त–व्यस्त हो गया है और उनकी आजीविका समाप्त हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप हमारे दक्षिणी पड़ोसी श्रीलंका में राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। लोगों के लिए सब कुछ गलत हो रहा है और वे श्रीलंका में सत्ता पर एकाधिकार वाले शासक राजपक्षे परिवार के खिलाफ उठ रहे हैं। नवउदारवादी नीतियों की लंबी अवधि में पैदा हुए संकट को तेज करने में मनमाने फैसलों ने भूमिका निभाई है। तीसरी दुनिया के देशों में इन कथित मजबूत नेताओं का घटनाओं पर बहुत कम नियंत्रण होता है

क्योंकि वे साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा समर्थित और संचालित होते हैं। एक बार फिर साम्राज्यवादी पूंजी से प्रेरित विकास का एक शो पीस जर्जर अवस्था में है।

सबसे पहले, लोगों की परेशानियां। भोजन, ईंधन और दवाओं की कमी है। हर दिन ब्लैक आउट के घंटे बढ़कर 13–14 घंटे प्रतिदिन हो गए हैं। केरोसिन सहित ईंधन, भोजन और दूध के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। पहले ही कई लोग लम्बी कतारों में खड़े–खड़े मर चुके हैं। 'व्यवस्था' बनाए रखने के लिए सेना को राज्य द्वारा संचालित ईंधन डिपो पर तैनात किया गया है। उद्योगों को बिजली की कमी के कारण बंद करना पड़ा है या कम घंटे काम करना पड़ रहा है, आर्थिक गतिविधियां घट गई हैं। डीजल की कमी के कारण बिजली संयंत्र बंद हो गए हैं या उत्पादन कम हो गया है। यहां तक कि स्याही या कागज न होने के कारण छात्रों की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। अधिकांश समाचार पत्र और पत्रिकाएं बंद हो गई हैं और जो चल रहे हैं उनके पृष्ठों की संख्या कम कर दी गई है। आवश्यक दवाएं नहीं हैं और आपातकालीन सर्जरी भी नहीं की जा रही है। कुछ लोग आर्थिक तंगी के कारण भारतीय तटों पर भी पहुंच गए हैं। मुद्रास्फीति 25.7 फीसदी तक पहुंच गई है; इससे भी बदतर, आवश्यक वस्तुएं अलमारियों से गायब हो गई हैं।

लोग विरोध कर रहे हैं, पुलिस और सशस्त्र बलों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन पर विरोध प्रदर्शनों को बल प्रयोग से तितर–बितर कर दिया गया है। सरकार ने विरोध को रोकने के लिए आपातकाल की घोषणा की और कर्फ्यू लगा दिया। लेकिन धरना प्रदर्शन जारी रहे हैं। 5 अप्रैल को सरकार आपातकाल हटाने के लिए मजबूर हो गयी। मजदूर, छात्र, वकील, शिक्षक, सभी वर्ग के लोग विरोध कर रहे हैं और विरोध में शामिल हो रहे हैं। पूरे श्रीलंका में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने 8 अप्रैल को आम हड़ताल का आह्वान किया। आर्थिक कठिनाइयाँ इतनी व्यापक हैं कि राजनीतिक संकट ने द्वीप को घेर लिया है। प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी मंत्रियों ने इस्तीफे की पेशकश की है। लेकिन लोगों के गुस्से का निशाना राजपक्षे हैं जिन्होंने श्रीलंका में सत्ता पर एकाधिकार किया हुआ है और जाने से इनकार कर रहे हैं। न केवल राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री, बल्कि इस परिवार से सात मंत्री हैं, जो देश के 75 फीसदी बजट को नियंत्रित करते हैं। लोगों के गुस्से से खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने विपक्षी दलों को राष्ट्रीय एकता सरकार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। जाहिर है मुख्य विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ परिवार के मैला ढोने से इनकार कर प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री – राजपक्षे भाइयों का इस्तीफा प्रदर्शनकारियों की लड़ाई का मुख्य नारा है।

वर्तमान संकट, देश के आयात बिल को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार की गंभीर कमी के रूप में प्रस्तुत है, क्योंकि श्रीलंका भोजन, ईंधन और दवाओं जैसी दैनिक उपयोग की आवश्यक आवश्यकताओं को खरीदने में असमर्थ है। विदेशी मुद्रा भंडार घटकर दो बिलियन अमेरिकी डालर से भी कम हो गया है (ये फरवरी 2022 के दौरान 2.31 अमेरिकी डालर था)। निर्यात कम हो गया है और पर्यटन ठप है, जिससे और दबाव बढ़ रहा है। लेकिन यह सकल व्यापार असंतुलन (2021 में व्यापार घाटा 9.1 बिलियन डालर था) अर्थव्यवस्था के अंतर्निहित असंतुलन को व्यक्त करता है, जो उत्तरोत्तर सरकारों द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण पैदा हुआ है। श्रीलंका के लिए मुख्य विदेशी मुद्रा अर्जन विदेशों में काम कर रहे श्रीलंकाई श्रमिकों का प्रेषण, कपड़ा वस्त्रों और चाय का निर्यात और पर्यटन रहा है। 2013 के बाद से विदेशों से प्रेषण और कपड़ा वस्त्रों के निर्यात में ठहराव के साथ, यह पर्यटन से आय थी, जो 2018 में लगातार 4.4 बिलियन डालर का राजस्व अर्जित कर रही थी।

कुछ टिप्पणीकार इस संकट के लिए विदेशी कर्ज के बोझ को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कारक है लेकिन पूरी कहानी नहीं है। 2021 में श्रीलंका का विदेशी कर्ज 51 अरब डालर से अधिक होने का अनुमान लगाया गया था, जबकि जीडीपी का अनुमान लगभग 81 अरब डालर था। हालांकि मीडिया के एक वर्ग ने चीनी ऋण को मुख्य कारक बताया है, लेकिन श्रीलंकाई विदेशी ऋण के विश्लेषण से पता चलता है कि यह उनमें से केवल एक है। अप्रैल 2021 के अंत तक, श्रीलंका के विदेशी ऋण का 47 फीसदी बाजार उधार था और लगभग 13 फीसदी एशियाई विकास बैंक से था। जापान, चीन और विश्व बैंक, प्रत्येक से विदेशी ऋण लगभग 10 फीसदी था, भारत से 2 फीसदी विदेशी ऋण था और अन्य देशों से शेष विदेशी ऋण था। पिछले तीन वर्षों में, 2019 की शुरुआत में जीडीपी के अनुपात में विदेशी ऋण लगभग 85 फीसदी था, जो 2019 के अंत में 94 फीसदी हुआ, जबकि 2021 में यह सकल घरेलू उत्पाद का 119 फीसदी हो गया।

श्रीलंका वर्तमान स्थिति में कैसे पहुंचा है? ऐसे कई कारक हैं जिन्होंने इस स्थिति में योगदान दिया है। जबकि कोविड महामारी ने निश्चित रूप से पर्यटन को प्रभावित किया, यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध ने भी संकट बढ़ाने में योगदान दिया। रूस और यूक्रेन के यात्री सभी पर्यटकों के एक चौथाई से अधिक होते थे। द्वीप का लगभग 45 फीसदी गेहूं आयात इन दोनों देशों से होता था। सोया, सूरजमुखी के तेल और दालों का आधे से अधिक आयात यूक्रेन से आता था, जबकि रूस और यूक्रेन उर्वरकों के, लौह तथा इस्पात, अभ्रक, तांबा (कैथोड) और खाद के लिए पोटेशियम क्लोराइड के अर्ध–तैयार उत्पादों के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता रहे हैं। इसके अलावा, ये दोनों देश श्रीलंका में उत्पादित 18 फीसदी काली चाय खरीदते थे।

राजपक्षे सरकार, कारपोरेट अनुकूल नवउदारवादी आर्थिक नीतियों और बहुसंख्यकवाद, इस मामले में सिंहली बौद्ध अधिनायकवाद की एकजुटता का प्रतीक है। राजपक्षे सरकार, सैन्य–धर्म अधिकारियों के शासन पर खड़ा है। सैन्य अधिकारियों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया है और बोडु बाला सेना (बौद्ध शक्ति बल) के कट्टर नेताओं को शिक्षा, संस्कृति और कानूनों को एक बहुसंख्यक सत्तावादी शासन की दिशा में चलाने के लिए नियुक्त किया गया है। आर्थिक पतन से उत्पन्न जन–उभार ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि कारपोरेट विशेषकर विदेशी कारपोरेट समर्थित बहुसंख्यक शासन के लिए मुख्य चुनौती जन आंदोलन से आती है। संसदीय विपक्षी दल, लोगों के गुस्से को बल देने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, बल्कि लोगों के गुस्से पर सवारी करने की उम्मीद कर रहे हैं, ठीक वैसे जैसा कि भारत में ऐतिहासिक किसान आंदोलन के दौरान हुआ था। विपक्षी दलों के पास कोई वैकल्पिक नीति ढांचा नहीं है; इसलिए वे खुद को आलोचना करने तक सीमित रख रहे हैं, जैसे कि आईएमएफ से समय पर संपर्क नहीं करना, मदद के लिए विदेशों को धन्यवाद देना, आदि। कई मायनों में श्रीलंका में संकट के विकास में भारत के साथ समानताएं हैं, वास्तव में श्रीलंका, कालानुक्रमिक क्रम में, कुछ मामलों में आगे है।

आर्थिक तबाही लंबे समय से चल रही थी। श्रीलंका दक्षिण एशिया का पहला देश था जिसने नवउदारवादी एजेंडे को अपनाया। वह यूएनपी सरकार थी, जिसने जे.आर. जयवर्धने के नेतृत्व में 1977 में 'ओपन इकोनोमी रिफार्म्स' को अपनाया था। इसने ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमलों के साथ श्रमिक अधिकारो से वंचित, मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की थी और आतंकवाद रोकथाम अधिनियम को लागू किया था। साम्राज्यवादी पूंजी के आने से एक बुलबुला पैदा हुआ जो कुछ साल बाद फट गया। शासक वर्गों द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों से लोगों के गुस्से को दूर करने की आवश्यकता में जयवर्धने सरकार ने बहुसंख्यक सिंहल अंधराष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। 1983 में तमिलों के कुख्यात नरसंहार के साथ तमिलों पर हमले तेज हो गए थे। इसके बाद सिंहली बहुमत वाली सरकार और तमिलों के बीच दशकों का संघर्ष चला, जिसमें लिट्टे और श्रीलंकाई सरकार के बीच युद्ध भी चला। इस युद्ध के बाद के चरणों में राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका के शासक वर्ग की राजनीति पर अपने नेतृत्व को मजबूत किया।

श्रीलंका में गृह युद्ध 2009 में समाप्त हो गया, जिसमें राजपक्षे भाइयों की सरकार के तहत सेना द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों का पूर्ण दमन किया गया और यहां तक कि पूर्वोत्तर में तमिलों की निर्मम हत्याएं की गयीं। 2009 से उदारीकरण की दूसरी लहर शुरू हुई। उसके बाद साम्राज्यवादी देशों से बहुपक्षीय और द्विपक्षीय ऋणों की झड़ी लग गई। चीन ने भी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के साथ बड़े पैमाने पर प्रवेश किया। लेकिन वे मुख्य क्षेत्र जो श्रीलंका के लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, यानि, कृषि और उद्योग जो क्रमशः लगभग 25 फीसदी और 28 फीसदी रोजगार देते हैं और बाकी सेवाओं में है, कोई सुधार नहीं होने से विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे का क्या उपयोग है? हालांकि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों में सुधार हुआ, लोगों की कठिनाइयों को कम नहीं किया गया। यह साम्राज्यवादी प्रायोजित मॉडल फटने का इंतजार कर रहा था और इसमें सत्तावादी राजपक्षे ने खूब योगदान किया।

महिंदा राजपक्षे के कार्यकाल को एक ओर अमेरिका और भारत और दूसरी ओर चीन के बीच बढ़ते अंतर्विरोध द्वारा चिह्नित किया गया था। राजपक्षे ने सिंहली बौद्ध कट्टरवाद के विकास में भी मदद की, विशेष रूप से इसके संगठन बोडु बाला सेना, जिसने विशेष रूप से श्रीलंका में मुस्लिम विरोधी कार्यक्रम को अभिव्यक्त किया, जैसे कि हलाल, हिजाब का विरोध और इस्लामिक देशों में श्रीलंकाई प्रवासी श्रमिकों को धर्म की स्वतंत्रता नहीं, आदि। बोडु बाला सेना ने भी यह कहा कि "... लोकतांत्रिक और बहुलवादी मूल्य सिंहल जाति को मार रहे हैं" और अन्य ऐसी ही बातें, जिनसे हम भारत में काफी परिचित हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आरएसएस ने इस क्षेत्र में अपने मुस्लिम विरोधी मोर्चे के एक हिस्से के रूप में बीबीएस और म्यांमार में इसी तरह के कट्टरवादी संगठन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए। राजपक्षे 2015 जनवरी में चुनावों में हार गए और उन्होंने इस हार की साजिश रचने के लिए भारतीय एजेंसी रॉ को दोषी ठहराया था।

राजपक्षे ने अप्रैल 2019 में श्रीलंका में ईस्टर बम विस्फोटों का इस्तेमाल कर श्रीलंका में मुस्लिम विरोधी प्रचार किया। छोटे राजपक्षे – गोतबाया जो गृहयुद्ध के दौरान रक्षा मंत्री थे, राष्ट्रपति चुने गए। सरकार से बाहर की अवधि के दौरान राजपक्षे ने अमेरिका के साथ दोस्ती बनाई और उनका सबसे छोटे भाई बेसिल, जो कि वित्त मंत्री था, एक अमेरिकी नागरिक था। उसके बाद हुए संसदीय चुनावों के बाद महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री बने।

सत्ता में लौटने के बाद, 'समृद्धि और भव्यता का खाका' बनाने के अपने कार्यक्रम के साथ राजपक्षे ने अति अमीरों को रियायतें दीं। 2 फीसदी का राष्ट्रीय निर्माण कर, जो सभी व्यवसायों पर लगाया जा रहा था, माफ कर दिया गया और संपत्ति कर कम कर दिया गया। व्यापार में

(शेष पृष्ठ 5 पर)

जॉर्ज रेड्डी की याद में : सपनों को जिंदा रखो

बी. प्रदीप

उन्होंने अनुमति नहीं मांगी, न बहाने किए और खुद मौत से मिलने उसके रास्ते पर चल दिए... प्रसिद्ध इतिहासकार एडुआर्डो गैलियानो ने 1967 में चे ग्वेवरा की मृत्यु पर यह पंक्तियां लिखी थीं। उस्मानिया विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग में शोधार्थी, स्वर्ण पदक विजेता और मुक्केबाज जॉर्ज रेड्डी की मृत्यु भी कुछ इसी तरह 14 अप्रैल 1972 को हई थी। सांप्रदायिक संगठन आरएसएस–एबीवीपी के भाड़े के गुंडों ने उन्हें मार डाला था। उनकी चाकू मारकर हत्या की गई थी और हत्यारों ने सुनिश्चित किया था कि उनकी मृत्यु हो गई है। इस घटना को अब से 50 वर्ष बीत गए हैं और पीडीएसयू के अलावा जॉर्ज के दोस्त उनकी 50वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। हर साल 14 अप्रैल जॉर्ज की शहादत की याद दिलाता है।

हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले,

बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले।

मिर्जा गालिब का यह शेर क्रांतिकारियों पर बखूबी सटीक बैठता है जो दुनिया बदलने के अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहादत तो कबूल करते हैं, लेकिन क्रांति के मार्ग पर अड़िग रहते हैं।

यह अशांति और आक्रोश का 60 का दशक था। विशेष रुप से 7वें दशक के उत्तरार्ध में यह एक ऐसा दौर था जब दुनिया के कई विकसित पूंजीवादी और अविकसित देशों के विश्वविद्यालयों व कालेजों में छात्रों के बीच युवा विद्रोही और क्रांतिकारी, क्रांति की छवियां गढ़ रहे थे। उसमें से कुछ ने क्रांति की छवियों को पहाड़ों और ग्रामीण इलाकों में उभारने की जिम्मेदारी में अपने को शामिल किया। यह आक्रोश था जो विभिन्न आंदोलनों के रूप में प्रकट हो रहा था। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ सेवेटो छात्र विद्रोह, फ्रांस में मई छात्र विद्रोह, अमेरिका में उभरता हुआ ब्लैक पैंथर आंदोलन और सबसे बढ़कर वियतनामी लोगों का अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष और देश में भी नक्सलबाड़ी और श्रीकाकुलम में किसानों के विद्रोह जैसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे थे। उस समय की तारीखी घटनाओं को तारिक अली ने अपने एक लेख ''व्हेयर हैज द रेज गान'' में लिखा है– ''1968 में एक तूफान ने दुनिया को तहस–नहस कर दिया। यह वियतनाम में शुरू हुआ, फिर पूरे एशिया में छा गया, समुद्र और पहाड़ों को पार करते हुए यूरोप और उससे आगे. ..। वियतनामी यदि दुनिया के सबसे ताकतवर राज्य को हरा कर सकते हैं... , तो हम भी अपने शासकों को हरा सकते हैं। यह 60 के दशक की पीढ़ी के क्रांतिकारियों का प्रमुख मूड़ था''। जार्ज इस दौर में विज्ञान से स्नातक की पढ़ाई उस्मानिया विश्वविद्यालय में कर रहे थे। इस पूरे राजनीतिक परिवेश में वह हमारे नायक बने और जॉर्ज के साथ प्रगतिशील समूह के सदस्यों के साथ जुड़ने का अवसर मिला, जो उनकी मृत्यु के बाद पीडीएसयू के गठन का अगुवा बना।

जून 1971 में जॉर्ज के साथ पहली औपचारिक मुलाकात से पहले ही मैंने उनके बारे में सुन रखा था कि वह अपने बनाए समूह में एक लड़ाकू व्यक्तित्व के थे। उन दिनों सीपीआई से संबद्ध ''मार्क्सवादी एजुकेशनल सोसायटी'' सामाजिक मुद्दों पर व्याख्यान आयोजित करती थी और मुझे याद है कि वाईएमसीए में दो ऐसी बैठकों में हमने भाग लिया था जहां सीपीआई विचारक मोहित सेन वक्ता थे। यहीं पर मैंने एक छोटे कद के गोरे से दिखने वाले व्यक्ति को सवाल उठाते और मुद्दों पर बहस करते देखा। वह जॉर्ज रेड्डी थे जिन्हें मैं तब जॉर्ज के नाम से नहीं जानता था। जॉर्ज के साथ मेरी औपचारिक मुलाकात के बाद हमारे बार–बार मिलने और बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। साइंस कॉलेज खगोल विज्ञान विभाग से सटी कैंटीन हमारे मिलने का एक नियमित अड्डा बन गई। जहां हम जॉर्ज की विभिन्न विषयों पर चर्चा सुनने के लिए बैठते थे। जो लोग अड्डे पर अक्सर आते थे उनमें बहुत से मार्क्सवाद और समाजवाद के विरोधी भी थे, जिनके हाथ में ऐन रैंड द्वारा लिखित 'एटलस श्रग्ड', 'फाउंटेन हेड' जैसी किताबें होती थी। इन बैठकों में विचारधारा, दर्शन, विज्ञान और क्रांति के मुद्दों पर बहस हुआ करती थी। जॉर्ज के पास एक स्पष्ट और वैश्विक मार्क्सवादी दृष्टिकोण था। समाजवादी विचारों व आदर्शों को फैलाने और विकसित करने के लिए उन्होंने एक स्टडी सर्किल भी बना रखा था। मैं लेनिन के क्लासिक साम्राज्यवाद, पूंजीवाद का उच्चतम चरण का अध्ययन करने वाले ऐसे ही एक स्टडी सर्किल का हिस्सा था।

यह वह समय था जब क्रांतिकारी चे ग्वेवरा युवाओं के हृदय में क्रांति के प्रतीक थे और हम में से कई जॉर्ज को उनका स्थनीय संस्करण मानते थे। जॉर्ज ने एक बार साइंस कॉलेज में ''भारत में सशस्त्र क्रांति'' विषय पर एक वाद–विवाद का आयोजन किया था जिसमें उन्होंने समापन भाषण दिया, जो काफी महत्वपूर्ण था और वह मेरे दिमाग में अटका हुआ था। उन्होंने हिंसा का मुद्दा उठाया, औपनिवेशिक शासन की समाप्ति के बाद भी गोरे लोगों के वर्चस्व को स्वीकार करने की औपनिवेशिक मानसिकता पर सवाल उठाया था। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके द्वारा आयोजित वाद विवाद का विषय उस समय की राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक था। उस समय नक्सलबाड़ी और श्रीकाकुलम सशस्त्र किसान विद्रोहों की शुरुआत हो चुकी थी।

जॉर्ज बहुमुखी प्रतिभा के धनी और एकेडमिक रूप से प्रतिभाशाली छात्र थे, जिन्होंने पीएचडी के लिए नामांकन किया तो भौतिकी विभाग के किसी भी प्रोफेसर ने स्वेच्छा से उनका गाइड बनना नहीं चाहा। अंततः खगोल विज्ञान विभाग के एक प्रोफेसर गाइड बनने के लिए तैयार हुए तब वह पीएचडी में दाखिला ले सके। जॉर्ज समाज में दलितों के बारे में चिंतित थे और मुझे याद है कि जब हम शहर में रिक्शा श्रमिकों के बारे में बात कर रहे थे। उस समय उनकी संख्या बहुत बड़ी थी। उन्होंने एक सवाल पूछा कि एक रिक्शे में बैठकर कैसा महसूस होता है जब एक और इंसान उसे खींच रहा हो। एक अर्थ में वह परोपकारी भी थे। वह निडर व्यक्ति थे जो हममें से कई लोगों के लिए साहस के प्रतीक भी थे, वह अकेले गुंडों के झुंड में घुसने से नहीं हिचकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने भय पर विजय प्राप्त कर ली हो। मृत्यु से 2 महीने पहले फरवरी 1972 में डीडी कॉलोनी में उनके घर के पास गुंडों ने उन पर हमला किया, तो उन्होंने जमकर मुकाबला किया। वह बहादुरी से लड़े और घायल हो गए। उनसे जब कहा गया कि भविष्य के लिए वह सावधानी बरतें और अकेले ना चलें तो उन्होंने कहा कि मौत इतनी जल्दी नहीं आ सकती। जॉर्ज एक साहसी व्यक्ति था, लेकिन जैसा कि चे ग्वेवरा ने खुद के बारे में कहा था कि वह 'एक अलग तरह का था जो अपनी सच्चाई साबित करने के लिए अपनी खाल को जोखिम में डालता है'। सबसे बढ़कर जॉर्ज क्रांतिकारी थे, जिन्होंने शोषण और उत्पीड़न से मुक्त समाज का सपना देखा था।

देश में साठ का दशक आक्रोश का दशक था जिसने जॉर्ज जैसे असाधारण व्यक्तित्व को जन्म दिया, जिनकी शहादत आज भी एक प्रेरणा है और लोगों के लिए अनुकरणीय उदाहरण है। आज 50 वर्ष बीत चुके हैं और इस लंबी अवधि में भी जॉर्ज द्वारा द्वारा छोड़ी गई विरासत अलग–अलग और कठिन वातावरण में जारी है। विभिन्न वर्गों में लोगों का आक्रोश बना हुआ है, जो देश में लोकतांत्रिक आंदोलनों के रूप में कई तरह से अभिव्यक्त हो रहा है। पीडीएस के नाम से जॉर्ज जो एक पैंफ्लेट निकालते थे उनकी मृत्यु के बाद वह राज्य स्तर पर एक संगठन बन गया। 1974 में इसे औपचारिक रूप से पीडीएसयू नाम दिया गया। 1975 में आपातकाल लागू होने से देश में सभी तरह की लोकतांत्रिक गतिविधियों को दबा दिया गया। राज्य में असंख्य फर्जी मुठभेड़ और हत्या हुई। जॉर्ज की शहादत के बाद जम्पाला प्रसाद, सुरपनेनी जनार्दन और श्रीहरि जैसे कई क्रांतिकारी शहीद हुए। इसके बाद के भी 40 वर्षों में राज्य प्रायोजित हिंसा में मधुसूदन राज, रंगवल्ली, वीरैया जैसे अनेक क्रांतिकारियों की हत्यायें हुईं, लेकिन लोगों का आक्रोश आज भी बदस्तूर जारी है।

बेहतर भविष्य के सपने अभी भी जीवित हैं और उन्हें महसूस किया जा सकता है। जैसा कि एक कवि कहता है– ''सभी खतरों में सबसे खतरनाक है सपनों का मर जाना''। मैल्कम एक्स ने अश्वेत छात्रों से बात करते हुए एक बार कहा था ''आपको अपने दुश्मन को यह बताने से आजादी मिलेगी कि आप अपनी आजादी पाने के लिए कुछ भी करने में सक्षम हैं। फिर आप इसे प्राप्त करेंगे। इसे पाने का यही एकमात्र तरीका है... वे आपको चरमपंथी, विध्वंसक, देशद्रोही अथवा कट्टरपंथी कहेंगे लेकिन जब आप लंबे समय तक क्रांतिकारी बने रहेंगे और अपने जैसा बनने के लिए निरंतर नए लोगों को जोड़ते रहेंगे तो आपको स्वतंत्रता मिल जाएगी''।

श्रीलंका में जनउभार

(पृष्ठ 5 का शेष)

मदद के लिए वैट को 15 फीसदी से घटाकर 8 फीसदी कर दिया गया। धार्मिक संस्थानों को कर में कुल छूट दे दी गई थी। इससे सरकार के राजस्व में काफी कमी आई।

राजपक्षे सरकार ने मई 2019 में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों (उनके आयात पर रोक लगाई) के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया और पूरी तरह से जैविक खेती अपनाने की घोषणा की। बिना किसी तैयारी की पृष्ठभूमि के साथ यह अचानक स्विच निरंकुश तरीकों से अमल किया गया, पर इससे कृषि उत्पादन में गिरावट आ गई। प्रतिबंध से पहले, 91 फीसदी किसान रसायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल करते थे। श्रीलंका चावल उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ करता था। उत्पादन 20 फीसदी गिर गया। चाय की पत्तियों के उत्पादन में तेज गिरावट आई जो श्रीलंका का मुख्य निर्यात रहा है। नवंबर 2021 में आदेश वापस ले लिया गया था, लेकिन मुख्य फसलों को नुकसान पहले ही हो चुका था। इसने श्रीलंका को चावल का आयात करने के लिए मजबूर किया और देश के निर्यात को कम कर दिया।

जहां व्यापार संतुलन विकृत हो गया था, विदेशी ऋण अदायगी का भुगतान एक और बोझ बन गया। श्रीलंका के लिए अपना कर्ज चुकाना लगभग असंभव हो गया। श्रीलंका, जो मध्यम आय वाले देश में अपने परिवर्तन का दावा करता था, वह भीख का कटोरा लेकर घूम रहा है। चीन पहले ही 2.8 अरब अमेरिकी डालर की पेशकश कर चुका है और 2.5 अरब डालर और देने पर विचार कर रहा है। भारत ने 2.4 अरब अमेरिकी डालर की पेशकश की है। अब आई.एम.एफ. की ओर देख रहे हैं।

आर्थिक पतन के कारण राजनीतिक संकट पैदा हो गया है, श्रीलंका के लोग सड़कों पर हैं। हालाँकि, यह क्रोध किस प्रकार का परिवर्तन लाता है, यह संघर्ष का नेतृत्व करने वाली ताकतों की चेतना पर निर्भर रहेगा और वे लोगों को कितना और किस उद्देश्य से लामबंद करते हैं। विपक्षी शासक वर्ग की पार्टियों को इस गुस्से से फायदा हो सकता है, लेकिन ये पार्टियां उन्हीं नीतियों के पक्ष में हैं, जो वर्तमान तबाही का कारण बनी हैं।

श्रीलंका के घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण सबक यह है कि अपने बुनियादी आर्थिक मुद्दों के लिए लोगों के संघर्ष, अंधवादी बहुसंख्यकवाद के एजेंडे को बैकफुट पर धकेलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष हैं, हालांकि इस एजेंडे का समर्थन करने वाली ताकतों को निर्णायक रूप से हराने के लिए सचेत संघर्ष की आवश्यकता होगी। इस तरह के संघर्ष लोगों को सामाजिक विभाजनों को काटकर एक साथ लाते हैं। भारत में ऐतिहासिक किसान आंदोलन ने भी यही सबक दिया था।

(न्यू डेमोक्रेसी के अप्रैल, 2022 अंक में प्रकाशित लेख का संक्षिप्त अनुवाद)

सफल रही श्रमिकों की आम हड़ताल; 4 लेबर कोड, पीएसयू निजीकरण और भूमि मुद्रीकरण के खिलाफ संघर्ष तेज; करोड़ों श्रमिक लाल झंडों के साथ सड़कों पर उतरे; 48 घंटे उद्योग, खनन, पीएसयू, बैंक ठप रहे; निर्माण श्रमिक, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता भी हड़ताल में शामिल

अखिल भारतीय दो दिवसीय आम हड़ताल के तहत देश भर के अधिकांश शहरों, औद्योगिक क्षेत्रों की सड़कें और गलियां लाल–लाल हो गईं, क्योंकि देश भर के श्रमिक संगठनों के संयुक्त आह्वान पर करोड़ों कर्मचारियों, मजदूरों ने लाल झंडों के तले बड़ी–बड़ी जनसभाएं, रैलियां, मार्च और पिकेटिंग का आयोजन किया था। केंद्र में सत्तारूढ़ आरएसएस–भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार की श्रमिक विरोधी कारपोरेट परस्त नीतियों के खिलाफ अधिकांश उद्योगों व क्षेत्रों के कर्मचारियों, श्रमिकों और मजदूरों का आक्रोश 28–29 मार्च की आम हड़ताल के मौके पर सड़कों पर दिखाई पड़ा। श्रमिक विरोधी 4 लेबर कोड वापस लेने, सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण ना करने, भूमि मुद्रीकरण नीति वापस लेने के अलावा बीमा (एलआईसी) व बैंकों के निजीकरण के खिलाफ और सरकारी व निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों, बिजली (एनटीपीसी), कोयला खनन, स्टील प्लांट और ऑटोमोबाइल सेक्टर और बैंकों में हड़ताल का व्यापक असर दिखाई पड़ा। अस्पताल कर्मियों, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के साथ ही बड़ी संख्या में निर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों ने भी हड़ताल में भागीदारी की।

देश की राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में कर्मचारी व श्रमिक हड़ताल के दोनों दिन सुबह से ही फैक्ट्री गेट या अपने कार्यालय के बाहर लाल झंडे के साथ एकत्र होने लगते थे। गेट मीटिंग के बाद श्रमिकों ने बड़े–बड़े जुलूस व मार्च निकाले और जनसभाएं कीं। सरकारी बैंक अधिकांशतः बंद थे या उनका कामकाज बुरी तरह प्रभावित रहा, क्योंकि बैंक कर्मी निजीकरण के खिलाफ हैं और कई वर्षों से वेतन वृद्धि ना होने के मुद्दे पर आक्रोशित थे। एक अनुमान के अनुसार देश भर में लगभग 20 करोड़ श्रमिकों, कर्मचारियों, मजदूर ने 48 घंटे की आम हड़ताल में शानदार और बहादुराना भागीदारी की।

दो दिवसीय अखिल भारतीय हड़ताल में 10 ट्रेड यूनियनों के अलावा देश भर में सर्वाधिक सक्रिय भागीदारी क्रांतिकारी श्रमिक संगठनों की रही और उनके कार्यकर्ता बडी संख्या में सडकों पर उतरे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित भारतीय मजदूर संघ बीएमएस इस हड़ताल का हिस्सा नहीं था, बल्कि उसने हड़ताल का आवाहन करने वाले ट्रेड यूनियनों की राजनीतिक संबद्धता का सवाल उठाते हुए श्रमिकों की नाराजगी से अपने को अलग रखा। इंडियन फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियंस (इफ्टू) की राष्ट्रीय कमेटी ने हड़ताल की सफलता पर जारी एक बयान में कहा कि श्रमिकों की प्रतिक्रिया नौकरियों पर छाए संकट और उनके अधिकारों पर हो रहे हमलों के खिलाफ गुस्से को चिन्हित करती है। 48 घंटे की आम हड़ताल को लेकर कर्मचारियों व श्रमिकों से इफ्टू अध्यक्ष अपर्णा और महासचिव बी प्रदीप ने संयुक्त अपील की थी कि भारत का मजदूर वर्ग केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों को व्यापक चुनौती देता है। इसलिए सभी श्रमिक और कर्मचारी 'हड़ताल करो सड़कों पर उतरो'।

इससे पूर्व इफ्टू और उससे संबंधित श्रमिक और कर्मचारी संगठनों ने कई माह पूर्व से हड़ताल की तैयारी शुरू कर दी थी। इसके लिए पोस्टर, वॉल राइटिंग, गेट मीटिंग जैसे कार्यक्रम किए जा रहे थे। इफ्टू नेताओं ने पहले से ही स्पष्ट कर दिया था कि यह हड़ताल मालिक परस्त 4 श्रम कोड के खिलाफ, सभी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण और कारपोरेट–परस्त नीति के खिलाफ, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमि के मुद्रीकरण की घोषित नीति के खिलाफ श्रमिकों के जवाबी संघर्ष का हिस्सा है। इफ्टू द्वारा सभी श्रमिकों से मार्च, रैलियां, गेट पिकेटिंग और रास्ता रोको कार्यक्रमों के आयोजन की अपील का दिल्ली, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में व्यापक असर दिखाई दिया।

दिल्ली

देश की राजधानी दिल्ली में इफ्टू और अन्य ट्रेड यूनियनों के कार्यकर्ताओं व श्रमिकों के साथ हड़ताल को सफल बनाने के लिए ओखला औद्योगिक क्षेत्र और मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र में बड़े मार्च का नेतृत्व किया। मायापुरी में लगभग 80 % उद्योगों के मालिकों ने स्वयं ही बंद रखा था। मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र में पीडीएसयू तथा नौजवान भारत सभा के कार्यकर्ताओं और प्रगतिशील महिला संगठन के साथ आईएफटीयू ने संयुक्त रैली निकाली और हड़ताल को सफल बनाने के लिए मार्च किया। शहर के कई अन्य हिस्सों में भी रैलियों और मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र भी शामिल था। हड़ताल के दूसरे दिन इफ्टू ने नारायणा, ओखला औद्योगिक क्षेत्र–फेज 2 में स्थानीय स्तर पर रैलियां निकालीं जिसमें इफ्टू के साथ कई ट्रेड यूनियनों ने भागीदारी की। इसके अलावा इफ्टू से जुड़े श्रमिक संगठनों और कार्यकर्ताओं ने दोपहर में जंतर–मंतर पर ट्रेड यूनियनों के संयुक्त प्रदर्शन में शामिल हुए। इस तरह दो दिवसीय हड़ताल में दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में हड़ताल सफल रही।

तेलंगाना

हड़ताल के पहले दिन हैदराबाद में विभिन्न ट्रेड यूनियनों के तहत औद्योगिक श्रमिकों ने संयुक्त रैली का आयोजन किया और क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। तेलंगाना में हड़ताल के दोनों दिन सभी भूमिगत कोयला खदानें पूरी तरह बंद रहीं। कुछ खुली खदानों (ओपन कास्ट) को छोड़कर कोथागुड़म में भी ओपन कास्ट खदानें बंद रहीं। यह हड़ताल इफ्टू सहित सिंगरेनी क्षेत्र में कार्यरत सभी ट्रेड यूनियनों की ज्वाइंट एक्शन कमिटी द्वारा आयोजित की गई थी। गोदावरी खानी में इफ्टू ने कोयला श्रमिकों की जबरदस्त लामबंदी की थी। इसके अलावा निजामाबाद में इफ्टू के नेतृत्व में बीड़ी मजदूरों ने बड़ी रैली का आयोजन किया। एनटीपीसी रामागुंडम में ठेका श्रमिक संयुक्त कार्रवाई समिति के आह्वान पर बड़ी जनसभा गेट पर आयोजित की गई। सिंगरेनी कोलियारी लिमिटेड के कोयला श्रमिकों ने विशेष रूप से 4 कोयला ब्लॉक के व्यवसायीकरण के खिलाफ ट्रेड यूनियनों की जेएसपी के आह्वान पर खदान के गेट पर ही रैली और मार्च आयोजित किए। हड़ताल के दूसरे दिन भी तेलंगाना के सभी इलाकों में श्रमिकों ने मार्च निकाल कर सभाएं कीं ओर पिकेटिंग की।

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल में हड़ताल के पहले दिन पूरे राज्य में अनेक स्थानों पर रेल और सड़क जाम किए गए। सरकार की नीतियों के कारण कई जूट मिलें पहले से ही बंद हैं। डलहौजी जूट मिल में श्रमिकों ने इफ्टू यूनियन के आह्वान पर हड़ताल का आह्वान किया था। हड़ताल को तोड़ने के लिए प्रबंधन ने बाहर से कुछ श्रमिकों को बुला कर काम करवाना चाहा, लेकिन 20% बाहरी श्रमिकों की ही हाजिरी हो सकी। इफ्टू के नेतफत्व में यहां श्रमिकों की हड़ताल हुई। एंगस जूट मिल पूरी तरह से बंद थी। जयश्री इंसुलेटर जैसी निजी कंपनियों में आईएफटीयू ने हड़ताल का आयोजन किया था। बहुत मामूली संख्या में ही मजदूर काम पर उपस्थित थे और हड़ताल का व्यापक असर रहा। यही स्थिति हिडुस्टन ग्लास में भी था। जेएसटी और एचएनजी ने रिशरा में इफ्टू द्वारा आयोजित रेल रोको आंदोलन किया। दूसरे दिन भी इफ्टू से संबंधित श्रमिक संगठनों ने विशाल जनसभा का आयोजन किया। पश्चिम बंगाल में बैंकों की हड़ताल शत प्रतिशत सफल थी, जबकि कोलकाता और उत्तरपाड़ा में हड़ताल का अच्छा प्रभाव था, सिलीगुड़ी में बाजार लगभग पूरी तरह बंद थे।

आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश में देशव्यापी आम हड़ताल के तहत इफ्टू के प्रदेश अध्यक्ष पी प्रसाद और पोलारी के नेतृत्व में विजयवाड़ा में धरना और बड़ी रैली आयोजित की गई। विशाखापत्तनम स्टील प्लांट केंद्र सरकार के निजीकरण की लिस्ट में होने से यहां पहले से आंदोलन चल रहा था। ऐसे में यहां हड़ताल लगभग पूरी तरह सफल रही। शहर में स्टील प्लांट के निजीकरण के खिलाफ बंद का आयोजन किया गया, जिससे अधिकांश बाजार भी बंद थे और सार्वजनिक और निजी परिवहन भी प्रभावित रहा। विशाखा स्टील प्लांट के कर्मचारी दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे और शहर में "विशाखा स्टील बचाओ" नारे के साथ एक जबरदस्त संयुक्त जुलूस निकाला गया। विशाखापत्तनम में एएस जूट मिल, विजयनगरम जिले में सलूरू जूट मिल और श्रीकाकुलम जिले में नीलम जूट मिल हड़ताल के कारण पूर्णतया बंद रहीं। चित्तूर जिले के तिरुपति में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने इफ्टू के बैनर तले बड़ा मार्च निकाला। इसी तरह अनंतपुरम में भी इफ्टू ने श्रमिकों के जुलूस का नेतृत्व किया। यहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला भी बनाई। चित्तूर में ही आशा कार्यकर्ताओं के भी एक विशाल विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। श्रीकालहस्ती में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया जिसे इफ्टू के आंध्र प्रदेश राज्य समिति के ईसी सदस्य कामरेड भारती ने संबोधित किया। इफ्टू ने कुरनूल में सड़क जाम कर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा गुंथकल, मदनपल्ली, जंगारेड्डीगुड़म, निदादावोलु और गौरी पट्टनम में भी बड़े विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। एलुरू में इफ्टू ने हड़ताल के दोनों ही दिन विशाल मार्च निकाला।

पंजाब

पंजाब में दो दिवसीय हड़ताल का राज्य के कई जिलों में व्यापक प्रभाव दिखाई दिया। इफ्टू ने नवांशहर में एक विशाल प्रदर्शन किया। सड़क परिवहन कर्मचारियों ने पूर्ण हड़ताल रखी और कई स्थानों पर निर्माण श्रमिकों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इफ्टू के नेतृत्व में निर्माण श्रमिकों ने पठानकोट और फाजिल्का में बड़े प्रदर्शन किए। नवांशहर के अलावा मुक्तसर और मलोट में निर्माण मजदूरों ने विशाल रैलियां निकालीं। हड़ताल के पहले दिन गुरदासपुर, रोपण और गढ़शंकर में भी निर्माण मजदूरों ने प्रदर्शन किया। रोपण में बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ताओ ने भागीदारी की।

बिहार

हड़ताल के पहले दिन बिहार में सासाराम और डेहरी आन सोन में इफ्टू और ऑटो वर्कर्स यूनियन ने पूरी तरह ऑटो हड़ताल रखी और बाद एक विशाल रैली निकाली। मुजफ्फरपुर में भी मोटर कर्मचारियों ने इफ्टू के बैनर के तहत रैली निकाल कर हड़ताल को सफल बनाया। कहलगांव एनटीपीसी बिहार में 90% ठेका श्रमिक और 450 स्थाई श्रमिक हैं। सभी ठेका श्रमिकों ने तथा स्थाई श्रमिकों की एक बड़ी संख्या ने इफ्टू के आह्वान पर हड़ताल में भागीदारी की। एनटीपीसी कहलगांव के अधिकांश ठेका कर्मचारियों के साथ स्थाई कर्मचारियों ने भी दोनों दिन हड़ताल रखी। श्रमिकों ने एकदम सुबह ही अपने सभी क्षेत्रों पर मोर्चाबंदी कर ली थी ताकि प्रशासन के सहयोग से कंपनी का प्रबंधन हड़ताल विफल ना कर सके। इसके अलावा सासाराम सहित कई स्थानों पर इफ्टू और एआईकेएमएस ने संयुक्त रुप से धरना–प्रदर्शन किया।

ओडिशा

ओडिशा में इफ्टू ने अन्य सभी ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर गजपति के मुख्यालय परलखमुंडी में एक प्रदर्शन किया। हड़ताल के दोनों ही दिन बड़ी और छोटी औद्योगिक इकाइयों में हड़ताल रही। इस दौरान लाल झंडे लेकर श्रमिकों ने सड़क जाम किया और दिन भर धरने दिए। हड़ताल के पहले दिन उत्साहित श्रमिक बंद सफल कराने के लिए दिन भर सड़कों पर डटे रहे। यह साहस

(शेष पृष्ठ 7 पर)

कैमूर-सोन घाटी की ललकार : जल-जंगल-जमीन पर आदिवासियों का अधिकार

10 मार्च 2022 को कैमूर–सोन की तराई में बसे रोहतास जिले का अकबरपुर जल, जंगल, जमीन पर आदिवासियों के अधिकार संबंधी नारों को लेकर गूंज उठा। कैमूर वन अधिकार संघर्ष मोर्चा (केवीएएसएम) और अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा (एआईकेएमएस) के संयुक्त आह्वान पर आयोजित विशाल विरोध प्रदर्शन में हजारों आदिवासी महिला और पुरुषों ने टांगी, तीर–धनुष जैसे पारंपरिक हथियारों से लैस होकर गगनभेदी नारे लगाते हुए जुलूस निकाल कर विरोध ा प्रदर्शन किया। जुलूस में शामिल महिलाएं मुट्ठियां भींचे गगनभेदी नारे लगा रही थीं। प्रमुख नारों में 'कैमूर के पठारी वन क्षेत्र को संविधान की 5 वीं सूची में शामिल करो, आदिवासियों व वनवासियों को उनकी बस्ती व खेती से उजाड़ना बंद करो, वन अधिकार कानून 2006 को लागू करो' याामिल थे जिनसे पूरा इलाका गुंजायमान हो गया।

आदिवासियों व वनवासियों का यह जुलूस दिन में 12 बजे रेलवे मैदान से शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाएं परंपरागत वेशभूषा में शामिल

थीं। विरोध प्रदर्शन रेलवे मैदान से निकलकर क्षेत्रीय वन पदाधिकारी के कार्यालय की ओर चला तो पूरा वातावरण नारों से उद्वेलित हो गया और हुजूम का तेवर देखते बनता था। रैली क्षेत्रीय वन अधिकारी के कार्यालय पहुंची, जहां प्रशासन ने बड़ी संख्या में सशस्त्र पुलिस बल, वनरक्षक तैनात कर रखे थे और रोहतास मजिस्ट्रेट भी उपस्थित थे। विरोध प्रदर्शन के बाद आयोजित सभा में केवीएएसएम और एआईकेएमएस नेताओं ने 13 सूत्रीय मांग पत्र अधिकारियों को सौंप कर तत्काल कार्यवाही की मांग की। इससे पूर्व सभा की अध्यक्षता कैमूर वन अधिकार संघर्ष मोर्चा के नेता धनंजय उरांव और संचालन अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के रवि ठाकुर ने किया। सभा में 13 सूत्रीय मांग पत्र रखा गया जिसे अधिकारियों को सौंपा गया।

कैमूर और सोन के तराई में बसे आदिवासी व वनवासियों की प्रमुख मांगे–

– आदिवासियों एवं अन्य जंगल वासियों व तराई के लोगों को जंगल की सूखी लकड़ियों को काटने, चुनने, इस्तेमाल करने अथवा रोजी–रोटी के लिए बिक्री करने पर लगी रोक को हटाया जाए तथा क्षेत्रीय वन कार्यालय में वनकर्मियों द्वारा आदिवासियों के उत्पीड़न और प्रताड़ित करने पर रोक लगाई जाए।

– ग्राम उटगी, सतगलिया, जयंतीपुर, बरईचा, तियारा, गाजासिंह, काला नालाडीह, चफला आदि गांवों के आदिवासियों एवं अन्य स्थानीय लोगों द्वारा वन विभाग की भूमि पर वर्षों से खेती की जा रही थी लेकिन अब उनको जमीन से बेदखल करने संबंधी कार्रवाई की जा रही है जिस पर पुनः विचार किया जाए और उक्त भूमि को वन विभाग द्वारा मुक्त कर कब्जा धारियों को लौटाया जाए।

– सभी तरह के वनोपज के संग्रहण व संरक्षण का पारंपरिक अधिकार जो उन्हें वन अधिकार कानून के तहत दिए गए हैं उनका पालन किया जाए।

– आदिवासियों एवं अन्य वनवासियों द्वारा अधिकृत एवं उपयोग में लाई जा रही कृषि योग्य भूमि बिहार सरकार या वन विभाग के संबंध में उनके दावा पत्र लिए जाएं और उनकी मौलिक जांच कर भूमि का मालिकाना हक दिया जाए।

– क्षेत्रीय वन कार्यालय से संबंधित वनकर्मियों द्वारा स्थानीय गरीबों व मजदूरों की जब्त की गई साइकिलें मुक्त की जाएं।

– कैमूर के तराई के इलाके के जंगली जानवरों द्वारा किसानों की फसल को पहुंचाए जा रहे नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए।

– ग्राम यदुनाथ पुर (नेवरिया–नायानगरी) के आदिवासियों को उनकी पुश्तैनी दखल कब्जे की भूमि से बेदखल करने की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए तथा कथित वन भूमि का रूपांतरण कर उनके नाम आवास एवं कृषि भूमि का पट्टा दिया जाए।

– वन रक्षकों द्वारा पहाड़ी नदियों में बिखरे पत्थर के टुकड़ों को चुनने एवं संग्रहण पर लगी रोक को हटाया जाए।

– वन विभाग द्वारा आदिवासियों एवं अन्य वनवासियों पर किए गए मुकदमे वापस लिए जाएं।

– आदिवासियों व वनवासियों के दखल कब्जे की आवास, खेती, चारागाह और अन्य सामुदायिक भूमि जिसका उपयोग उनके द्वारा किया जाता है, का उन्हें पट्टा दिया जाए।

– कैमूर के तराई व जंगलात क्षेत्रों में रह रहे आदिवासियों एवं अन्य वनवासियों के द्वारा खेती की जा रही जमीन से उन्हें जबरन बेदखल करना बंद किया जाए।

– वन कानून 2006 के अंतर्गत आदिवासियों एवं वनवासियों को दिए गए सभी अधिकार बहाल किए जाएं एवं वन विभाग द्वारा उसकी की जा रही अवहेलना पर रोक लगाई जाए।

– कैमूर के पठारी वन क्षेत्रों को संविधान की 5 वीं अनुसूची में शामिल किया जाए।

विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कैमूर वन अधिकार संघर्ष मोर्चा के संचालक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि वन अधिकार कानून 2006 के अंतर्गत मिले अधिकार, सरकार और वन विभाग द्वारा आदिवासियों व वनवासियों को नहीं दिया जा रहे हैं। इसके विपरीत सरकार का वन विभाग इन कानूनों की अवहेलना कर रहा है। इससे सदियों से यहां रह रहे आदिवासियों के सामने नित नई मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि तमाम गांवों में आदिवासियों को उनके पुश्तैनी कब्जे वाली जमीनों से बलात बेदखल किया जा रहा है, जबकि वन अधिकार कानून के तहत उन जमीनों का पट्टा कब्जा धारियों को दिया जाना चाहिए। वन विभाग कानून बन जाने के बाद भी जमीन के कब्जाधारी आदिवासियों से दावा पत्र भी नहीं मांग रही है। आदिवासियों की ओर से जो कुछ दावे पेश भी किए गए हैं उन्हें खारिज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कैमूर अंचल में वन विभाग ने आदिवासियों को वन संपदा के पारंपरिक अधिकार से भी वंचित कर दिया है। रोहतास अकबरपुर के क्षेत्रीय वन कार्यालय के कर्मियों द्वारा स्थानीय लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है और जंगल की सूखी लकड़ियों, नदी के पत्थर के टुकड़ों को चुनने पर भी रोक लगा दी है।

एआईकेएमएस के जिला सचिव अयोध्या राम ने भदारा एवं बलतुआ भूमि संघर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य एवं केंद्र सरकारों ने भूमि सुधार कानून को मृतप्राय बना दिया है। ऐसी स्थिति में आदिवासियों को भी वन कानून अपने पक्ष में लागू कराने के लिए बड़े संघर्ष और आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है, जो सरकारों और नौकरशाहों को चुनौती दे सके। उन्होंने जंगली पशुओं द्वारा आदिवासी किसानों की फसलों का नुकसान किए जाने के लिए वन विभाग से तत्काल मुआवजा देने की मांग की।

विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए धनंजय उरांव ने कहा कि झारखंड सहित अन्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों की तरह कैमूर के पठारी वन क्षेत्र संविधान के 5 वीं अनुसूची में शामिल नहीं हैं। इसलिए 'पेसा' जैसे कानून इस क्षेत्र में अमल नहीं किए जाते। उन्होंने कहा कि कैमूर के पठारी वन क्षेत्रों में कानूनी अधिकार की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आदिवासियों की मांगें पूरी नहीं हो जाती।

सभा को विजय उरांव, कृष्णा उरांव, कौशल्या चेरो, लेखराज चेरो, राजनाथ उरांव, नरेश कोटवा, श्रवण खरवार, बुधन राम, राजेश चेरो, प्रमोद मेहता और जनवादी ऑटो चालक मजदूर संघ के महासचिव दिनेश कुमार सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि वन विभाग अपने अधिकारों और वन कानूनों का आदिवासियों के खिलाफ दुरुपयोग कर रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वनवासियों एवं आदिवासियों का जल, जंगल व जमीन पर जन्मजात अधिकार है और इस अधिकार को छीनने वालों के विरुद्ध संघर्ष निरंतर जारी रहेगा।

28-29 मार्च को सफल रही श्रमिकों की देश व्यापी आम हड़ताल

(पृष्ठ 6 का शेष)

श्रमिकों ने तब किया जब अधिकांश उद्योगों ने श्रम कानूनों के तहत उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी थी, लेकिन वह डरे नहीं और हड़ताल को सफल बनाया। इफ्टू के नेतृत्व में एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और बरहामपुर के आउटसोर्सिंग मेडिकल कर्मचारियों ने हड़ताल के दूसरे दिन एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया।

उत्तर प्रदेश

श्रम कानूनों के स्थान पर चार श्रम कोड लाने के खिलाफ दो दिवसीय औद्योगिक हड़ताल के समर्थन में एआईकेएमएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी वेंकटरमैया और महासचिव डॉ आशीष मित्तल ने संयुक्त बयान जारी कर सभी राज्य इकाइयों से श्रमिक हड़ताल में शामिल होने की अपील की थी। इसके तहत इलाहाबाद के जसरा आदि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों व खेत मजदूरों ने प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन दिया। इसके अलावा मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में भी हड़ताल के पहले दिन एआईकेएमएस ने प्रदर्शन किया।

झारखंड

झारखंड यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड झारखंड में इफ्टू ने सभी श्रमिकों के साथ मिलकर काला बिल्ला दिवस आयोजित किया।

इफ्टू की राष्ट्रीय कमेटी ने दो दिवसीय हड़ताल की सफलता और देश भर में मजदूर वर्ग की जबरदस्त प्रतिक्रिया को सलाम करते हुए कहा है कि छात्रों, महिलाओं, किसानों व तमाम जनवादी तबकों और उनके संगठनों ने आम हड़ताल को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इससे चार पूंजीवादी श्रम संहिताओं को निरस्त करने के लिए संघर्ष करने, सार्वजनिक धन द्वारा बनाए गए पीएसयू की बिक्री की नीतियों को रद्द कराने और उनकी भूमि को औने–पौने दामों पर कारपोरेट को सौंपने के विरुद्ध संघर्ष व्यापक स्तर पर हुआ है। इफ्टू की राष्ट्रीय कमेटी मजदूर वर्ग इस संघर्ष को और दृढ़ता से तेज करने के साथ–साथ नौकरी की सुरक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष को मजबूत करने का आह्वान करती है। साथ ही हम सभी ट्रेड यूनियन केंद्रों का आह्वान करते हैं कि आइए हम एकजुट होकर इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं।

———

रोहतास (बिहार)

दलित की हत्या के विरोध में विक्षोभ प्रदर्शन

बिहार में लंबे समय से जातीय गुंडों का आतंक और दलितों का उत्पीड़न बदस्तूर जारी है। रोहतास के सासाराम में 3 अप्रैल 2022 को एक दलित मजदूर वकील राम उम्र 35 वर्ष की मजदूरी करने जाते समय दबंगों ने लाठी–डंडे और ईंट– पत्थरों से पीट–पीट कर हत्या कर दी, जिसको लेकर पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया है और हजारों ग्रामीण सड़कों पर आंदोलन के लिए उतर गए हैं। अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा (एआईकेएमएस) सहित अन्य संगठन हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर इलाके में लगातार धरना–प्रदर्शन कर रहे हैं। मुफस्सिल थाना के तहत घौडांढ़ ओपी क्षेत्र के गांव धानकाढ़ा में वकील राम को लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद में मौका पाकर दबंगों ने हमला कर उनकी नृशंस हत्या कर दी थी। हत्या की खबर मिलते ही पूरे इलाके में जबरदस्त आक्रोश फैल गया है।

एआईकेएमएस ने 7 अप्रैल को शहर में विरोध प्रदर्शन किया। एआईकेएमएस के जिला अध्यक्ष शंकर सिंह ने कहा कि थानाध्यक्ष और अन्य पुलिस अधिकारी धनकाढ़ा में हो रहे दलित उत्पीड़न के मामले में शिथिलता बरत रहे हैं। हत्यारों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को सहायता ना मिलने तक संगठन जोरदार आंदोलन जारी रखेगा। हाथों में बैनर और तख्ती लिए बड़ी संख्या में एआईकेएमएस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट गेट पर प्रशासन से न्याय की मांग करते हुए घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों पर कार्रवाई करने, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी देने, हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार करने और दलितों उत्पीड़न और हत्याएं रोकने की मांग करते हुए जमकर नारे लगाए। घटना के दिन दलित श्रमिक वकील राम को गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल सासाराम लाया गया था जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन और स्थानीय ग्रामीण शव के साथ पोस्ट ऑफिस चौक पहुंच गए और शव को सड़क पर रखकर तत्काल हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया।

हत्या की घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हत्यारे चेहरा ढंक कर आए थे, लेकिन फिर भी उन्हें लोगों ने पहचान लिया। इसमें गांव का ही जदयू नेता अनिल सिंह यादव भी शामिल था। मृतक श्रमिक की पत्नी और परिजनों ने हत्या के आरोप में 29 लोगों के नाम एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने अभी तक कुछ गिरफ्तारियां तो की हैं, लेकिन मुख्य आरोपी लापता हैं और पुलिस प्रशासन उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। ज्ञात हो कि रोहतास के कई इलाकों में दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हत्याओं का सिलसिला रुक नहीं रहा है और पुलिस प्रशासन आपराधिक घटनाओं को रोकने में विफल है।

एआईकेएमएस सहित कई संगठनों ने 7 अप्रैल 2022 को संयुक्त रूप से वकील राम के हत्या में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर डीआईजी मुख्यालय पर भी जोरदार प्रदर्शन किया। घटना से पूरे इलाके में तनाव है। प्रदर्शनकारियों ने शाहाबाद क्षेत्र के डीआईजी उपेंद्र शर्मा के कार्यालय का घेराव कर जमकर विरोध प्रदर्शन कर हत्यारों की गिरफ्तारी और एसपी की बर्खास्तगी की मांग की। प्रदर्शनकारियों के उग्र तेवर देखते हुए पुलिस ने डीआईजी ऑफिस के बाहर बैरिकेडिंग कर बड़े पैमाने पर सशस्त्र सुरक्षा बलों को तैनात किया था। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाओं भी शामिल थीं, जिनसे पुलिसकर्मियों ने धक्का–मुक्की की। अंततः पुलिस प्रशासन ने लोगों के आक्रोश को देखते हुए डीआईजी से प्रदर्शनकारियों के नेताओं की मुलाकात कराई।

एआईकेएमएस नेताओं ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस प्रशासन शिथिलता बरत रहा है। विरोध कर रहे संगठनों की मांग है कि मामले की लीपापोती करने वाले एसपी आशीष भारती को बर्खास्त किया जाए। नेताओं ने कहा कि कमजोर तबके के लोगों की थाने में सुनवाई नहीं होती। उल्टा पलिस भी उनका उत्पीड़न करती है। वहीं पैसे वालों और दबंगों की तरफ से पुलिस दलितों पर कार्रवाई करती है जिससे कमजोर तबके के लोगों का उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने डीआईजी को ज्ञापन देकर मांग की है कि हत्याकांड में शामिल जदयू नेता व अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो और स्पीडी ट्रायल के जरिए दोषियों को फांसी की सजा दिलाई जाए। प्रदर्शनकारयों ने इनके अलावा मृतक श्रमिक की पत्नी को नौकरी देने और बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करने की भी मांग की है।

शिक्षा मंत्रालय पर नई शिक्षा नीति के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन

अखिल भारतीय शिक्षा अधिकार मंच (एआईएफआरटीई) की दिल्ली समन्वय समिति द्वारा 16 मार्च, 2022 को शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन नई दिल्ली पर एक प्रदर्शन किया गया। विभिन्न भागीदार संगठनों के लगभग 100 कार्यकर्ता शास्त्री भवन गेट पर एकत्र हुए और नारेबाजी करने लगे। भारी पुलिस उपस्थिति और बैरिकेडिंग के बावजूद, प्रतिभागी वहां रुकने में सफल रहे और अधिकारियों को एक प्रतिनिधिमंडल से मिलने के लिए मजबूर किया। एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल– भीम (के.वाईएस.), सुमित (एस.एफ.आई), अभिज्ञान (आइसा), विकास गुप्ता (एआईएफआरटीई) और मृगांक (एआईएफआरटीई) अधिकारियों से मिलने अंदर गया। प्रतिनिधिमंडल ने उच्च शिक्षा सचिव से मुलाकात की, जिन्हें विरोध के बिंदुओं और विचारों से अवगत कराया गया।

प्रतिनिधिमंडल के बाहर आने तक बैठक चलती रही। सभी संगठनों के वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया।

मुख्य मांगें थीं :

– **FYUP** वापस लो!
– एमफिल पुनः आरंभ करो!
– अधिक छात्रावासों का निर्माण करो!
–छात्र क्षेत्रों में किराया नियंत्रण करो!
–एनईपी 2020 को लागू करना बंद करो!
– केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (**CUCET**) को निरस्त करो!
– विश्वविद्यालयों के बंद रहने के दौरान एकत्र किए गए रखरखाव और विकास शुल्क को समायोजित करो!

एआईएफआरटीई की दिल्ली समन्वय समिति में पी.डी.एस.यू. समेत छात्र संगठनों तथा शिक्षक संगइनों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

संगरूर (पंजाब) : 8 अपैल को कीर्ति किसान यूनियन, पंजाब स्टूडैन्ड्स यूनियन तथा नौजवान भारत सभा द्वारा राजनीतिक बंदियों – भीमा कोरेगांव तथा उत्तर पूर्व दिल्ली के केसों में बंद राजनीतिक कैदियों तथा सजा पूरी कर चुके सिख कैदियों के रिहाई के लिए निकाला गया जुलूस।

If Undelivered, Please Return to

Pratirodh Ka Swar

Monthly

Balmukand Khand,
Girinagar,
New Delhi-110019

Hindi Organ of CPI(ML)-New Democracy

R. N. 47287/87

Book Post

To

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

प्रकाशक, मुद्रक व स्वामी यतेन्द्र कुमार द्वारा स्टार ऑफसेट, टी-2151/8-ए-2, न्यू पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 से मुद्रित व बालमुकन्द खण्ड, गिरी नगर, नई दिल्ली-110019 से प्रकाशित। सम्पादक : यतेन्द्र कुमार